न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नं0 62/2024

परम नवदीप सिंह पत्नि नवदीप सिंह जाति जट सिक्ख निवासी प्लॉट नं0 ए-35 हनुमान नगर खातीपुरा रोड वैशालीनगर जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत ढाणी बोराज जरिये सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी
2. जरिये डेजिकनेटेड पार्टनर अजयकुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर निवासी गीजगढ विहार बाईपास गोदाम जयपुर।

प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश संख्या 2276/23.9.24 आदेश दिनांक 08/10/2024 ग्राम पंचायत ढाणी बोराज तहसील जोबनेर

उपस्थितः- 1. श्री प्रकाश माचीवाल वकील अपीलार्थी
2. श्री आशीष कुमावत वकील अप्रार्थी संख्या 02

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक :- 04/12/2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 954/1 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 954/2 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 956/1 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 956/2 रकबा 0.6070 हे0, ख0नं0 958 रकबा 0.0126 हे0, ख0नं0 958/1 रकबा 1.2645 हे0, ख0नं. 958/2 रकबा 1.3657 हे0, ख0नं0 959 रकबा 1.4415 हे0, ख0नं0 960/1 रकबा 0.8472 हे0, ख0नं0 960/2 रकबा 0.8093 हे0, ख0नं0 961 रकबा 2.8198 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 11.0264 हे0 वाकै ग्राम ढाणी बोराज पटवार मण्डल ढाणी बोराज तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बारन की आराजीयात के खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलार्थी को 1 करोड छत्तीस लाख अस्सी हजार के बदले बेचान कर बेचान पत्र दिनांक 9.9.2024 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं022 मे पृष्ठ संख्या

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

97 क्रम संख्या 202403564101766 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 86 के पृष्ठ संख्या 397 से 405 पर चस्पा किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामांतकरण संख्या 2276 दिनांक 23.9.2024 को भरकर तस्दीक करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 01 के समक्ष दिनांक 8.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा नामांतकरण को स्टाम्प ड्यूटी कम होने को आधारित कर अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत ढाणी बोराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/10/2024 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रैस्पोडेन्ट संख्या 02 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। रैस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जवाब अपील इस आशय का पेश किया गया है कि विक्रयधीन सम्पति क्रेता/अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने पर रैस्पोडेन्ट संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उप पंजीयक जोबनेर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उप पंजीयक जोबनेर के पत्र क्रमांक पंजीयक/2024/112 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय में पंजीयन हेतु प्राप्त दस्तावेज क्र0सं0 202401564001908 प्रस्तुतीकरण द्वारा जरिय डेजिकनेटेड पार्टनर अजयकुमार यादव ने श्रीमती परम नवदीप सिंह के नाम पर उक्त विक्रय विलेख सम्पादित करवाया गया था। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्टाम्प डयूटी प्राप्त की जो दस्तावेज अनुसार सही थी।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। हमने बहस वकील उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं उप पंजीयक जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 2276/23.9.24 आदेश दिनांक 08/10/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट ने आराजीयात खसरा नंबरान

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

954 / 1 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 954 / 2 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 956 / 1 रकबा 0.6196 हे0, ख0नं0 956 / 2 रकबा 0.6070 हे0, ख0नं0 958 रकबा 0.0126 हे0, ख0नं0 958 / 1 रकबा 1.2645 हे0, ख0नं. 958 / 2 रकबा 1.3657 हे0, ख0नं0 959 रकबा 1.4415 हे0, ख0नं0 960 / 1 रकबा 0.8472 हे0, ख0नं0 960 / 2 रकबा 0.8093 हे0, ख0नं0 961 रकबा 2.8198 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 11.0264 हे0 वाकै ग्राम ढाणी बोराज पटवार मण्डल ढाणी बोराज तहसील जोबनेर की सम्पूर्ण भूमि को तय शुदा प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय किया है एवं विक्रेतागण ने विक्रय किये गये भौतिक भाग का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है, जिसका विवरण विक्रय विलेख मे अंकित है। बेचान तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है। उप पंजीयक जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्टाम्प डयूटी प्राप्त की जो दस्तावेज अनुसार सही थी, जबकि रैस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी कम होने के कारण नामांतकरण अस्वीकार किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं नामान्तरण संख्या 2276 / 23.9.24 आदेश दिनांक 08 / 10 / 2024 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2276 / 23.9.24 आदेश दिनांक 08 / 10 / 2024 सरपंच ग्राम ढाणी बोराज तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 04 / 12 / 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

04/12/2024
मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
उपखण्ड अधिकारी जयपुर